

प्राप्तिशिप/उक्तिश/फ-3/यूपी-421/2001/ 971-976/103

**भारत के राजपत्र भाग - 3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ**

आदेश

शिव मन्दिर छुट्टन लाल काका गल्स डिप्ली कॉलेज, खड़ी चाड़ा, सिकन्द्राबाद-203205, उत्तर प्रदेश को समिति कार्यालय के आदेश द्वारा ग्रमांक एफ-3/यूपी-421/ बीएड/2000/6096 दिनांक 9.8.2000 के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम की 60 सीटों की सम्पूर्ण मान्यता सत्र 2000-2001 से प्रदान की गई थी। समिति कार्यालय के उक्त आदेश के विरुद्ध संस्था ने परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली में वाचिका दायर की थी। परिषद् मुख्यालय ने वाचिका पर निर्णय कर रास्ता बोले आदेश दिनांक 7.2.2001 के द्वारा सत्र 2000-2001 के लिए बीएड पाठ्यक्रम की 120 सीटों की मान्यता प्रदान की थी। तथा सत्र 2000-2001 के उपरांत संस्था को मान्यता हेतु उत्तर क्षेत्रीय समिति को अनुरोध करने के लिए लिखा था। परिषद् मुख्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 7.2.2001 के पाठ्योत्तम में संस्था के प्रकरण पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की 33 वीं बैठक में विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सत्र 2001-2002 के लिए 120 सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का मूल्यांकन करा लिया जाए। तबुपरांत ही प्रकरण को समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

समिति के निर्णयानुसार संस्था का दिनांक 26.4.2001 की मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था के प्रकरण पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में मिलार किया गया। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि रास्ता में 60 सीटों के लिए ही परिषद् मानदंडों की पूर्ति नहीं होती है। अतः अतिरिक्त 60 सीटों की मान्यता सत्र 2001-2002 से अस्तीकार कर दी जाए।

समिति के निर्णयानुसार शिव मन्दिर छुट्टन लाल काका गल्स डिप्ली कॉलेज, खड़ी चाड़ा, सिकन्द्राबाद-203205, उत्तर प्रदेश के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 60 सीटों की मान्यता सत्र 2001-2002 से अस्तीकार की जाती है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अधिकारण जो यह प्रियोत्तमा दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में समिति कार्यालय के आदेश दिनांक 9.8.2000 के द्वारा स्वीकृत 60 सीटों पर प्रवेश नहीं करें यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनको बीएड पाठ्यक्रम की कक्षी है तो यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के तहत इन छात्रों को प्रदान बीएड की

१४ के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश ने जारी होने की तिथि से ६० दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकती है अपील को मंदर्भ में दिक्षा-निदेश आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस आदेश जा अंग्रेजी अनुवाद अलग से जीछे जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(आर० डी० मीना)

क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—

प्रश्नात्मक

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि मूलनाथ एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु :

१. शिक्षा शिविर, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
२. निदेशक, उच्च शिक्षा, विद्या निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
३. कुल सचिव, चौथी चरण रिह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
४. मंदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली- 110016
५. प्राचार्य, विश्व मन्दिर द्वारा लास काका गल्स डिझी कॉलेज, खड़ी बाजार, सिकन्दराबाद- 203205, उत्तर प्रदेश।
६. कम्प्यूटर सेल, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर।



क्षेत्रीय निदेशक